

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

161

वाद सं०- 118 / 2018

धारा-107 द०प्र०सं०

दिवादा मही करि वनाम बरनु अरि

आदेश की तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही एवं टिप्पणी तारीख सहित

19-09-18

अभिलेख सं०-एम 118 / 2018 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०- 27/18 दिनांक-17-8-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि श्वारा 1010 प्लॉट नं० 620 शकवा 79570 भाध्य शकवा 50570 एवं 24570 में श्वेली कार्ट को लेखा 314 पत्र में विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुब्द होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुब्द हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 18/09/18 को उपस्थापित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
नदरवाई एवं टिप्पणी  
तरीख सहित

अधिवक्ता नहीं होने के कारण गारंटी  
हैड अगली लिफ्ट की गारंटी की गई।  
दिनांक 14-06-19 को रखें।

*[Signature]*  
31/05/19

14-06-19

उभय पक्ष की ओर से एजरी दी  
गई। कार्यपालक दफ्तर अन्य कार्य में  
बसता दिनांक 01-07-19 को रखें।

01-07-19

उभय पक्ष की ओर से एजरी दी  
गई। कार्यपालक दफ्तर अन्य कार्य में  
बसता दिनांक 15-07-19 को रखें।

15-07-19

आभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष  
इपीएल। उक्त वार में 6(छः) माह की  
अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वार  
कालबाधित हो गया है अतः वार में  
आभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।

*[Signature]*  
15/07/19